प्रेस नोट 27.09.2020

गुमशुदा लड़कियों को पाकर परिजनों के खिले चेहरे, जनपद मऊ पुलिस द्वारा तीन गुमशुदा नाबालिग लड़कियों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चंद्रभान के नेतृत्व/निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दो नाबालिग गुमशुदा लड़कियों व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक नाबालिग गुमशुदा लड़की को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है।

थाना **हलधरपुर** के ग्राम चकरा की दो लड़कियां क्रमशः 1–कुमारी संजू उम्र करीब 15 वर्ष पुत्री राममबचन बासफोर एवं 2–रानी पुत्री जितेंद्र बाँसफोर उम्र 14 वर्ष जो चचेरी बहनें थी, जो घर से दूध लेने के बहाने निकल गई और घर वापस नहीं लौटी। पारिवारीजन आस–पास एवं अपने रिस्तेदारों में पता किये, जानकारी न होने पर दिनांक 25–09–2020 की सायं थाना हलधरपुर पर लिखित सूचना दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 282/20 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि दोनों लड़कियां नाबालिग थी, जिनके संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना हलधरपुर की पुलिस जनपद मऊ, गाजीपुर, बलिया के संभावित स्थानों पर लगातार तलाश करती रही। उक्त दोनों नाबालिक लड़कियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों लड़कियां ग्राम चौथी मील थाना घोसी क्षेत्र में अपने मौसी के घर पर हैं। उक्त सूचना पर लड़कियों के परिजन के साथ पुलिस बल वहां पहुंची तो दोनों लड़कियां अपने मौसी के घर पर सकुशल मिली। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि घूमने के लिए हम दोनों घर से बिना बताए पहले चाचा के घर एवं फिर मौसी के घर चले आये। सूचना के आधार पर दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई।

इसी क्रम में थाना **कोतवाली** पुलिस को दिनांक 25.09.20 को सांय सूचना मिली की आकृति राय पुत्री आनन्द कुमार राय निवासी कृशण विहार कालोनी, बलिया मोड थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र लगभग 11 वर्ष बिना बताये घर से कही चली गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। लड़की के पिता की लिखित सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 517/20 धारा भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी हेतु प्रयास शुरू किया गया। खोजबीन के दौरान रेलवे पुलिस चारबाग लखनऊ प्रभारी द्वारा जरिये टेलीफोन अवगत कराया गया कि एक आकृति नाम की लड़की स्टेशन पर मिली है एवं अपना नाम आकृति राय पुत्री आनन्द कुमार राय निवासी कृष्ण विहार कालोनी, बलिया मोड थाना कोतवाली जनपद मऊ बता रही है। इस सूचना पर कोतवाली जनपद मऊ पुलिस तत्परता दिखाते हुए एक टीम लखनऊ रवाना कर उक्त गुमशुदा को सकुशल वापस लाया गया। नाबालिग आकृति राय को उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्दगी में दे दिया गया है। तीनों

लड़कियों की बरामदगी से उसके परिजन और ग्रामवासी में काफी खुशी की लहर है। तीनों लड़कियों को बरामद करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

950 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन में अवैध तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.09.20 को थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कादीपुर के पास से उषा देवी पत्नी बहादुर प्रसाद निवासी कादीपुर थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 950 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 435/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चलान न्यायालय किया गया।

80 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ दो गिरफ्तार

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान दिनांक 26.09.2020 को थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा मुरादपुर के पास से राजकुमार पुत्र सुदामा यादव निवासी विसुनपुर देवरा थाना बरहज जनपद देवरिया के कब्जे से 50 लीटर अपमिश्रित शराब तथा बनाने के उपकरण यूरिया, फिटकरी, नौसादर बरामद किया गया, थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा भैसही नदी पुल के पास से असलम पुत्र नगीना निवासी हमीदपुर नदवा सराय थाना घोसी के कब्जे से 30 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना संबंधित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272,273 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर चलान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा ठाकुर प्रसाद राजू गुप्ता अरुण गुप्ता निवासीगण कूड़सर थाना हलधरपुर थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा नौशाद, गुफरान निवासीगण रोशनपुर, रामजन्म निवासी धर्मपुर बिशनपुर थाना मधुबन, थाना **मोहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा भोला, भोलू निवासी सुरहूरपुर राम ख्याल, अमर कुमार, चंद्रजीत, सत्य प्रकाश निवासीगण कोइरियापर थाना मोहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा विनोद, शिवलाल निवासीगण छपरा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा असलम नट निवासी मुंगेशर थाना सरायलखंसी मऊ को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान किया गया।